मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

द्वारा

सहमति की अभिव्यक्ति (ईओआई)

पी–एम कुसुम स्कीम के घटक 'अ' के अंतर्गत 500 किलोवॉट से 2 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों, जो की चयनित 33/11 केवी सबस्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में स्थापित किए जाऐंगे; हेतु विशेषतः बंजर/पढ़त भूमि के एकत्रीकरण के लिए सहमति की अभिव्यक्ति

EOI No. MPUVN/KUSUM-A/LAND/2020-21/1265 **Date : 27.08.2020**

द्वाराः–

म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

ऊर्जा भवन, लिंक रोड नम्बर 2, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

टेलीफोन नम्बर +91–0755–2553595, 2575670

फैक्स नम्बर + 91–0755–2553122

ई–मेल : **ceuvn@mp.gov.in**

बेवसाईट : **www.mprenewable.nic.in**

अस्वीकरण (डिसक्लेमर)

1. हालाँकि ईओआई दस्तावेज तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है एवं आवेदक खुद को संतुष्ट करेगा कि, दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है। तथापि किसी भी विसंगति पाये जाने पर, इसकी सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाए। यदि ईओआई दस्तावेज जारी करने की तारीख से 10 (दस) दिनों के भीतर भावी आवेदक से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि ईओआई दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है और आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया है।

2. मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.यू.वी.एन.) को, ईओआई जमा करने की तारीख से पहले किसी भी समय इस ईओआई दस्तावेजों को संशोधित करने, संशोधित करने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित है। अद्यतन जानकारी के लिए इच्छुक और पात्र आवेदकों को नोडल एजेंसी की वेबसाइट का अनुसरण करने की सलाह दी जाती है। नोडल एजेंसी, इस तरह के नोटिस/संशोधन/स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रिंट मीडिया में या व्यक्तिगत रूप से अलग–अलग सूचनाएँ भेजने/संचार करने के लिए बाध्य नहीं है। नोडल एजेंसी किसी भी पार्टी के किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं होगी।

3. जबकि यह ईओआई अच्छे विश्वास में तैयार किया गया है, न तो एम.पी.यू.वी.एन. (MPUVN) और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार किसी भी बयान या चूक के संबंध में, या किसी सटीकता के संबंध में, किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को व्यक्त या निहित करते हैं, या किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी को बनाते हैं। पूर्णतः या सूचना की विश्वसनीयता और इस ईओआई की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णतः के रूप में किसी भी कानून, कानून, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं उठाएगा, भले ही किसी भी नुकसान या क्षति के कारण उनकी ओर से कोई चूक या चूक हो।

1. पृष्ठभूमि

भारत सरकार (GoI) ने किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए कुसुम योजना शुरू की है। दिनांक 22.07.2019 को **प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान** (पीएम–कुसुम) योजना को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जो कि, (संलग्नक–IV) पर संलग्न है।

पीएम–कुसुम योजना के घटक 'अ' के तहत, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों (एसपीपी) को विकसित करने की योजना बनाई गई है, जो कि वितरण कम्पनी के मौजूदा 33/11 केवी सब–स्टेशनों से सीधे जोड़े जाने का प्रावधान है, इस प्रकार टी एण्ड डी (T&D) नुकसान के अलावा ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना की आवश्यकता में बचत होगी। अधिमानतः किसानों द्वारा, उन्हें सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों के लिए अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि का उपयोग करके इन सब–स्टेशनों के पास ऐसे पावर प्लान्ट्स को विकसित किया जा सकता है, जिससे उन्हें अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर मिल सकेगा।

2. परिचय

पीएम–कुसुम योजना को लागू करने के लिए, मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVN) राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) है। संलग्नक– 2 में प्रदान किए गए सबस्टेशनों के लगभग 5 कि.मी. के दायरे में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के बीच के क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों (एसपीपी) के विकास के लिए भूमि के एकत्रीकरण के लिए इच्छुक आवेदकों से, MPUVN द्वारा सहमति की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जा रही है। ये सोलर एनर्जी प्लांट सब–स्टेशन के 11 केवी साइड से जोड़े जायेगें।

3. कुसुम घटक 'अ' योजना के लिए पात्रताएँ

- योग्य आवेदक (इसके बाद सौर ऊर्जा जनरेटर (एसपीजी) कहा जाएगा) हो सकते हैं–
  - व्यक्तिगत किसान/कृषक
  - किसानों का समूह
  - सहकारिता (को–ऑपरेटिव)
  - पंचायत
  - किसान उत्पादक संगठन (FPO)
  - जल उपयोगकर्ता संघों (WUA)
  - शासकीय कृषि विश्वविद्यालय या अन्य कृषि सम्बन्धित शासकीय संस्थान

* यदि आवेदक, सोलर संयंत्र (एसपीपी) स्थापित करने के लिए आवश्यक इक्विटी की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे डेवलपर (एस) के माध्यम से एसपीपी को विकसित करने का विकल्प चुन सकते हैं। एसआईए (MPUVN) द्वारा ऐसे डेवलपर्स के चयन के लिए पृथक से

(सेपरेट) आरएफपी जारी की जाएगी।

4. विकास का तरीका

सौर संयंत्रों (एसपीपी) के विकास के निम्नलिखित विकल्पों की अनुमति है, (हालाँकि भूमि स्वामी/मालिक को इस EOI के माध्यम से अपनी भूमि SIA के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता ही है):–

(i) **सेल्फ–डेवलपमेंट मोडः** इस मोड के तहत, पात्र प्रतिभागी आवेदक स्वयं के निवेश के साथ अपनी जमीन पर एसपीपी (सौर ऊर्जा संयंत्र / Solar Power Plant) विकसित कर सकते हैं।

(ii) **डेवलपर मोडः** यदि किसान एसपीपी के लिए पूंजी/निवेश की व्यवस्था करने में असमर्थ है, तो वह एसपीपी की स्थापना के लिए अपनी जमीन को लीज/भाड़े/किराये पर देने का विकल्प चुन सकता है। ऐसे मामले में डेवलपर को एसपीजी कहा जाएगा।

5. भूमि का प्रकार एवं आवश्यकता

इस योजना के तहत एसपीपी मुख्य रूप से बंजर/गैर–कृषि जमीन पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तथापि योजना के तहत कृषि भूमि भी मान्य है।

संलग्नक–2 में दिए गए सबस्टेशनों के लगभग 5 कि.मी. के दायरे में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के बीच के क्षमता वाले एसपीपी को योजना के तहत अनुमति दी गई है। संबंधित DISCOMs द्वारा SIA को इन सबस्टेशन की सूची प्रदान की गई है। अतः पंजीयन हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि 2 एकड़/0.81 हैक्टेयर एवं अधिकतम भूमि 10 एकड़/4 हैक्टेयर ही वांछित होगी।

आवेदन में उल्लेखित की गई भूमि एक साथ होनी चाहिए एवं उसमें जल स्त्रोत जैसे–तालाब, नहर, नदी आदि, रेल्वे लाईन, सड़क स्कूल, धार्मिक स्थल एवं अन्य किसी भी प्रकार की संरचना नहीं होनी चाहिए। आवेदन की गई भूमि पूर्णरूप से अतिक्रमण मुक्त होने पर ही मान्य हो सकेगी।

6. आवेदन शुल्क

आवेदन की गई भूमि के लिए रू. 1,500/– गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स सहित, की दर से एक गैर–वापसी योग्य आवेदन शुल्क, योग्य आवेदक द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान किया जाना आवश्यक है। भुगतान न मिलने पर, आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगें।

7. लैंड लीज रेट

माननीय MPERC के समक्ष, विद्युत विक्रय शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में MPUVN द्वारा प्रस्तावित भूमि लीज के लिए दर **INR 36,400 प्रति एकड़/वर्ष** होने का अनुमान प्रस्तुत किया जा रहा है, भुगतान की जाने वाली अनुमानित लीज राशि माननीय MPERC से अनुमोदन के अधीन है। हालाँकि, वास्तविक पट्टा/लीज दरें डेवलपर और भू–स्वामी के बीच आपसी बातचीत पर आधारित हो सकती हैं, (परियोजना का विकास डेवलपर मोड के मामले में)। मॉडल/आदर्श लैंड लीज समझौता दस्तावेज संलग्नक–3 में दिया गया है।

8. ईओआई सब्मिशन

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा संलग्नक–2 में प्रदान किए गए सबस्टेशनों के लगभग 5 कि.मी. के दायरे में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के बीच के क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों (एसपीपी) के विकास के लिए भूमि के एकत्रीकरण के लिए इच्छुक आवेदकों से इस ईओआई के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। ये सोलर एनर्जी प्लांट सब–स्टेशन के 11 केवी साइड से जुड़े होंगे।

ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि	**15.10.2020**
प्रस्तुत करने का तरीका	इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे www.cmsolarpump.mp.gov.in एवं www.mprenewable.nic.in पर पंजीकरण करें। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
संपर्क विवरण	किसी भी और स्पष्टीकरण के लिए आवेदक ई–मेल से ceuvn@mp.gov.in या kusum.a.mpuvn@gmail.com पर ई–मेल लिखकर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

9. परियोजना के लिए भूमि का चयन

(i) स्व–विकास मोड

भविष्य में एम.पी.यू.वी.एन. (SIA) द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले प्रोजेक्ट अलॉटमेंट के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव बिड प्रोसेस में सेल्फ–डेवलपमेंट मोड के तहत रजिस्टर किए गए योग्य आवेदकों को अन्य एसपीजी (सौर ऊर्जा जनरेटर) के साथ भाग लेना होगा।

(ii) डेवलपर मोड

- एम.पी.यू.वी.एन. ऐसे सभी पात्र आवेदकों की सूची प्रकाशित करेगा, जो इस ईओआई के तहत पंजीकृत होगें और पट्टे/लीज पर अपनी जमीन प्रदान करने

के लिए इच्छुक हैं, यह विवरण अर्थात् जिला/तहसील, खसरा नम्बर, भूमि क्षेत्रफल की पेशकश, मालिक और सम्पर्क विवरण आदि वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

- MPUVN, संलग्नक–2 में उल्लिखित सबस्टेशनों की सूची के तहत स्थापित की जाने वाली क्षमता 500 kW से 2 MW के SPP की प्रतिस्पर्धी बोली के तहत बोलियों को आमंत्रित करेगा। पात्र आवेदक जिन्होंने स्व–विकास मोड के तहत अपनी रुचि दर्ज की है और जो डेवलपर्स पट्टे/लीज पर ली गई भूमि पर एसपीपी विकसित करने के इच्छुक हैं, वे दोनों बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
- जो डेवलपर्स पट्टे/लीज पर दी गई जमीन पर एसपीपी विकसित करने में रुचि रखते हैं, वे पात्र आवेदकों से संपर्क करेंगे, जिन्होंने इस ईओआई के तहत पंजीकरण किया है, सीधे जमीन के मालिक के साथ 27 साल की अवधि के लिए भूमि/पट्टे लीज के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। एक मॉडल लीज रेंट एग्रीमेंट संलग्नक–3 के रूप में संलग्न है।
- इस ईओआई के तहत भूमि के पंजीकरण उपरांत, आवंटन प्रक्रिया के तहत लीज के लिए डेवलपर्स द्वारा **भूमि के चयन की गारंटी नहीं दी जाती है।**
- हालाँकि, पात्र आवेदकों के लिए, जिनकी भूमि को निविदा में पट्टे/लीज के लिए किसी भी डेवलपर द्वारा चयनित नहीं किया जाता है, तो उनके आवेदनों को स्वचालित रूप से अगली (Next) आवंटन प्रक्रिया के लिए मान्य माना जाएगा और ऐसे पात्र आवेदकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- भूमि के पट्टे के लिए पात्र आवेदकों एवं डेवलपर के बीच एक द्वि–पक्षीय समझौता होगा और भूमि को डेवलपर को पट्टे पर देने में विफलता के लिए MPUVN को किसी भी सूरत में इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा।

10. अन्य जानकारी

सोलर आधारित योजनाओं की स्थापना पर लगभग रू. 335.14 लाख प्रति मेगावॉट की दर से व्यय आँकलित है। स्व–विकास मोड के तहत् इच्छुक आवेदक वित्तीय व्यवस्था होने पर ही उचित मोड का चयन करें।

संलग्नक – I - भूमि की उपलब्धता घोषित करने के लिए आवेदन पत्र प्रधानमंत्री कुसुम घटक 'अ' योजना के तहत्

क्रं.	विवरण	विवरण
1.	आवेदक का विवरण	
1.1	व्यक्तिगत किसान नाम, आधार कार्ड नंबर	
1.2	किसानों का समूह समूह का नाम या समूह का प्रमुख, सदस्यों की सूची, और/या पंजीकरण प्रति संलग्न की जानी है	
1.3	सहकारिता (को–ऑपरेटिव) सहकारी समिति का नाम (वैध पंजीकरण की प्रतिलिपि)	
1.4	पंचायतों पंचायत का नाम (कानूनी दस्तावेज के लिए राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का शीर्षक)	
1.5	किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) संगठन का नाम, (वैध पंजीकरण की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
1.6	जल उपयोगकर्ता संघों (WUA) एसोसिएशन का नाम, (वैध पंजीकरण की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
2.	जन सम्पर्क	संपर्क सूत्र – नाम – पूरा पता – मोबाइल – ईमेल – संगठन/संघ/सहकारिता आदि – नाम – पूरा पता – गाँव – पंचायत – विकास खण्ड –

क्रं.	विवरण	विवरण
		तहसील – जिला – फोन नंबरः ईमेलः
3.	विकास का तरीका	स्व– विकास / पट्टे पर जमीन उपलब्ध कराने के इच्छुक (डेवलपर मोड)
4.	भूमि का स्थान प्रोफाइल	खसरा नम्बर – पंचायत – गाँव – तहसील – जिला –
4.1	GPS / Google भूमि के को–ऑर्डीनेट	अक्षांशः देशांतरः
5.	परियोजना स्थान के लिए पहुँच	
5.1	मोटरेबल एप्रोच रोड टू द लैंड	हाँ नहीं
5.2	एप्रोच रोड का प्रकार	पक्की सड़क अनपवड रोड
5.3	निकटतम रेलवे स्टेशन	स्टेशन का नाम जमीन से दूरी
5.4	निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) / राज्य राजमार्ग (SH)	एनएच/एसएच/वीआर का नाम भूमि से दूरी (किमी)
5.5	परियोजना भूमि का विवरण (आवेदक भूमि स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए) भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
5.6	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	..... एकड़
5.7	निचले इलाकों के मामले में बाढ़ के	हाँ

क्रं.	विवरण	विवरण
	कारण जलमग्न होने की संभावना	नहीं कभी–कभी
5.8	भूमि का वर्तमान उपयोग	बंजर भूमि खेती योग्य भूमि अर्ध–खेती योग्य भूमि कृषि भूमि

घोषणाः–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि, उक्त सुसज्जित सभी जानकारी मेरे/हमारे श्रेष्ठ ज्ञान से सच है।

मैं/हम सहमत हैं कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूव्हीएनएल) को परियोजना आवंटित करने का अंतिम अधिकार है।

मैं/हमें परियोजना के गैर–आवंटन के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूव्हीएनएल) के साथ कोई विवाद नहीं होगा।

मैं/हम समय–समय पर लागू होने वाले सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी रेगूलेटरी कमीशन (सीईआरसी) /मध्य प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी रेगूलेटरी कमीशन (एमपीईआरसी) द्वारा जारी नियमों के साथ–साथ भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी नीतियों के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि आवेदन में उल्लेखित की गई भूमि एक साथ होनी चाहिए एवं उसमें जल स्त्रोत जैसे–तालाब, नहर, नदी आदि, रेल्वे लाईन, सड़क स्कूल, धार्मिक स्थल एवं अन्य किसी भी प्रकार की संरचना नहीं होनी चाहिए। आवेदन की गई भूमि पूर्णरूप से अतिक्रमण मुक्त होने पर ही मान्य हो सकेगी।

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

नाम –

जगह –

तारीख –

सील –

मोबाइल नम्बर –